प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 26.08.2025**

थाना रूरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रायपुर में पीआरवी पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट व जानलेवा हमले का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 24/08/2025 को इवेन्ट नं0 19397 समय 20.53 बजे कॉलर श्रीमती शशी पत्नी संजय निवासी ग्राम रायपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात से सूचना प्राप्त हुई कि पुष्पेन्द्र उर्फ भूरे यादव गाली दे रहा है। उक्त सूचना पर PRV 6489 थाना मंगलपुर पर तैनात का0 राहुल कुमार, चालक HG 890 आकाश तिवारी मौके पर पहुंचे, तो अभियुक्तगण 1. पुष्पेन्द्र यादव उर्फ गोरे यादव पुत्र जगपाल यादव 2. रानू यादव पुत्र जगदीश यादव निवासीगण ग्राम रायपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा पीआरवी पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया व HG आकाश तिवारी की जेब में रखे रुपये जेब फाडकर निकाल लिये गये। जिसके सम्बन्ध में थाना रूरा पर मु0अ0सं0 0278/2025 धारा 121(1)/109(1)/115(2)/352/351(2)/351(3)/304(2) भारतीय न्याय संहिता-2023 बनाम 1.पुष्पेन्द्र यादव उर्फ गोरे यादव पुत्र जगपाल यादव, 2.रानू यादव पुत्र जगदीश यादव निवासीगण रायपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 26.08.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्तगण 1. पुष्पेन्द्र यादव व रानू यादव उपरोक्त को डेरापुर रोड नहर पुलिया से समय करीब 09.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण –

1. पुष्पेन्द्र यादव उर्फ गोरे यादव पुत्र जगपाल यादव उम्र 35 वर्ष निवासी रायपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।
2. रानू यादव पुत्र जगदीश यादव उम्र 20 वर्ष निवासी रायपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना रूरा पुलिस।